[श्री मधु लिमये]

बता रहा हूँ—तीसरे सज्जन हैं—सीनियर आर्किटेक्ट, सी० पी० डब्लू० डी०, चौथे हैं—चीफ आर्किटेक्ट, एन० डी० एम० सी०, और पांचवें सद्गृहस्थ हैं—सीनियर आर्किटेक्ट, सी० पी० डब्लू० डी०। ये जो अन्तिम सज्जन हैं, इन्होंने स्वयं प्रधान मंत्री जी का फार्म-हाउस डिजाइन किया..... (व्यवधान)...... प्रधान मंत्री जी का महरौली में खेत है, उस पर फार्म हाउस डिजाइन करने का काम सीनियर आर्किटेक्ट, सी०पी०डब्लू०डी० ने किया है। यह काम अगर किसी नये आर्किटेक्ट या इंजीनियर को दिया जाता तो उसको कुछ पैसे मिलते। अगर बहुत बढ़िया काम करवाना चाहती थीं, तो हमारे पीलू मोदी साहब थे, उन्हीं को दे देतीं। यह क्या तमाशा है—जब सरकारी नियम बने हुए हैं, तो इस तरह के गलत काम क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर रोक डालने के लिए इस बिल में क्या है?

यहाँ पर कुछ तरमीमें आई हैं कि सरकारी नौकरी में जो आर्किटेक्ट हैं, उन लोगों के नाम जब तक वे नौकरी में हैं, इसमें दर्ज न किए जांय, यह ठीक है, नौकरी से हटने के पश्चात उनका नाम लाइये, मुझे कोई एतराज नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आप विधेयक के पृष्ठ 18 को देख लें, पार्ट टू में कुछ विदेशी कसौटियों का क्वालिफिकेशन्स के बारे में जिक्र है। मुझे पता चला है कि यह जो 8वीं एंट्री है: Certificate of Fellowship awarded by the Frank Lloyd wright Foundation, U. S. A. लोग कहते हैं यह संस्था तकरीबन अब अस्तित्व में नहीं है, पत्र-व्यवहार के जरिए से अपनी सिफारिशें वगैरह देते हैं। तो जिस पांचवें सज्जन का मैंने नाम लिया जोकि प्रधान मंत्री का फार्म हाउस डिजाइन करने वाले हैं उन्हीं के लिए केवल यह उसमें जोड़ दिया गया है और उसी तरह के दो तीन लोग और हैं।

मेरा तीसरा और आखिरी मुद्दा यह है कि जो ट्राइब्यूनल आप बनाने जा रहे हैं, कल मैंने पीलू मोदी जी से भी बात की थी, वे स्वयं मानते हैं कि सिर्फ आर्किटेक्ट ही इमारतों को बनाने का काम करे, इस तरह की स्थिति हमारे देश में पचास साल के बाद ही उत्पन्न हो सकती है। अभी तो हमारे यहां मिस्त्री से लेकर सभी लोगों को काम करना पड़ता है और कुछ समय के लिए यही रहेगा। जब ऐसी बात है तो मेरा कहना है कि ये जो कंसल्टिंग इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हैं उनका एक एसोसिएशन है तो जो आप ट्राब्यूनल बनाने जा रहे हैं उनमें उन को भी प्रतिनिधित्व दीजिए ताकि उनके हितों की भी रक्षा हो सके।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि यह बात सही है कि जैसे जैसे हमारे देश में विज्ञान का और शिक्षा का प्रसार होता जायेगा तो नये नये विशेषज्ञ पैदा होंगे। जैसे पहले जो आडिटर्स थे वे कास्ट एकाउन्टेन्ट्स हो गए, उनको भी कम्पनी कानून में छूट दे रही है। उसी तरह से आर्किटेक्ट ही काम करे वह स्थिति पचास साल के बाद ही आ सकती है और इस वक्त जब वह स्थिति नहीं है तो क्या कंसल्टिंग इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को भी ट्राइब्यूनल में प्रतिनिधित्व देकर आप उनके हितों की रक्षा करने की बात करेंगे ताकि भविष्य और वर्तमान दोनों का समन्वय और मेल प्रस्थापित हो सके। बस इतना ही मुझे कहना था।

---

15 03 hrs.

EMPLOYEES LEGAL AID BILL*

SHRI SARDAR AMJAD ALI (Basirhat): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for legal aid to workers in matters arising out of their employment in factories.

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 27-11-1970.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for legal aid to workers in matters arising out of their employment in factories."

The motion was adopted.

SHRI SARDAR AMJAD ALI : I introduce the Bill.

PREVENTION OF LOTTERIES BILL*

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ (Wardha) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention of State and Central lotteries.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention of State and Central lotteries."

The motion was adopted.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN : Shri Nath Pai. Absent.

15.04 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(AMENDMENT OF ARTICLES 58 AND 157)

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री शिव चन्द्र झा : मैं विधेयक पेश करता हूँ।

15.05 hrs.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL*

(AMENDMENT OF SECTION 4 AND ADDITION OF NEW SECTION 566)

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Ciriminal Procedure, 1898."

The motion was adopted.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं विधेयक पेश करता हूँ।

MR. CHAIRMAN : Now we will take up Acharya Kripalani's Bill.

SHRI NATH PAI (Rajapur) : I am sorry. Will you permit me to introduce my Bills ?

MR. CHAIRMAN : All right.

15.06 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(AMENDMENT OF ARTICLE 145)

SHRI NATH PAI (Rajapur) : I beg

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 27-11-1970.